भारत सरकार

मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 570

दिनांक 25 जून, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: मवेशी पालकों को वित्तीय सहायता

570. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः

क्या मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें किः

(क) क्या सरकार किसानों/मवेशी पालकों को उनके द्वारा पाले जा रहे पशुओं की संख्या के अनुसार एक निश्चित अवधि के लिए वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को राज्य सरकारों से ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने बुंदेलखंड के मवेशी पालकों के लिए कोई विशेष योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी राज्यमंत्री

(डॉ. संजीव कुमार बालियान)

(क) से (ग) जी नहीं। तथापि, भारत सरकार ने पशुपालकों और मत्स्यपालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा का विस्तार किया है। केसीसी का उद्देश्य पशुपालकों और मत्स्यपालकों को उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीली और सरलीकृत पद्धति के साथ एक एकल खिड़की के अंतर्गत बैंकिग प्रणाली से पर्याप्त तथा समयोचित ऋण सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत कवर पशुपालन संबंधी गतिविधियों में दुधारू पशुपालन, कुक्कुट ब्रॉयलर फार्मिंग, भेड़ पालन, बकरी पालन, सूअर पालन, ऊन के लिए खरगोश पालन तथा भारवाही पशु शामिल हैं और राज्य विशिष्ट किसी अन्य पशुधन के पालन पर भी विचार किया जाता है। सरकार सितंबर 2010 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से देश भर में डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना (डीईडीएस) भी कार्यान्वित कर रही है, जिसके अंतर्गत इस

योजना के मानकों की शर्त पर, पात्र वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से बैक एंडिड पूंजीगत सब्सिडी (सामान्य वर्ग के लिए कुल संस्वीकृत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए 33.33 प्रतिशत) प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अन्य घटकों के साथ-साथ 20 बछियों तक हीफर बछियों के पालन के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) से (ड़) पशुपालन सेक्टर के विकास के लिए राज्य के प्रयासों को अनुपूरित तथा सम्पूरित करने के लिए भारत सरकार देश भर में, जिसमें बुदेलखंड भी शामिल है, निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है: (i) राष्ट्रीय गौकुल मिशन, (ii) राष्ट्रीय डेयरी योजना-I, (iii) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, (iv) डेयरी गतिविधियों में लगी डेयरी सहकारिताओं और किसान उत्पादन संगठनों को सहायता; (v) डेयरी अवसरंचना विकास निधि; (vi) डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना; (vii) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण; (viii) राष्ट्रीय पशुधन मिशन तथा (ix) नस्ल सुधार संस्थान।

******